

(c) Outlays for the 7th Plan have not yet been finalised. The State Governments have to make adequate provision in their budget for urban water supply and under Minimum Needs Programme for rural water supply. The Centre provides grants for rural water supply under ARP to State Governments. A sum of Rs. 298 crores has been proposed in the budget for 85-86 under ARP.

Out of turn allotment of houses to retired Government servants, under HUDCO Scheme

*66. SHRI M. BASAVARAJU.

SHRI M. MADDANNA.

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government propose to allot houses on out of turn basis to retired Government servants who were registered under the 1979 HUDCO Scheme;

(b) if so; what are the reasons for excluding the non-Government retired registered persons under the same scheme; and

(c) whether Government propose to include them under the scheme?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI ABDUL GHAFOR);
(a) No. Sir.

(b) and (c) Do not arise.

रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं की सप्लाई

*67. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी गोदामों से रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं की सप्लाई बन्द कर दी गई है; यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि रोलर फ्लोर मिलों को सीधे बाजार से गेहूं

खरीदने के आदेश जारी किये गये हैं; यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिए निर्धारित दरें क्या हैं; और

(ग) मिलों द्वारा उत्पादन का हिसाब रखने का क्या तरीका है और उनसे कर की वसूली किस तरीके से की जाती है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) चालू विपणन मौसम के दौरान, रोलर फ्लोर मिलों को या तो खुले बाजार से गेहूं खरीदने या भारतीय खाद्य निगम से अपनी आंशिक अथवा पूर्ण आवश्यकता को प्राप्त करते रहने का विकल्प दिया गया है। उन्हें खुले बाजार से खरीदारियों ऐसे मूल्य पर करनी होंगी जो कि सरकार द्वारा इस मौसम के लिए निर्धारित किए गए गेहूं के समर्थन मूल्य से कम न हों।

(ग) व्हीट रोलर फ्लोर मिल्स (लाइसेंसिंग एण्ड कंट्रोल) आर्डर, 1957 के अधीन रोलर फ्लोर मिलों को जारी किए गए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार उन्हें गेहूं के उत्पादों को तैयार करने के बारे में लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए तरीके के अनुसार लेखे रखने होते हैं। मिलों से केन्द्रीय सरकार के लाइसेंसिंग प्राधिकरण और राज्य सरकार के विशिष्ट प्राधिकरण को विहित प्रोफार्मा में मासिक विवरणियां प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा की जाती है जिनमें उनके द्वारा तैयार किए गए और बेचे गए गेहूं के विभिन्न उत्पादों की मात्रा का विवरण दिया जाना होता है। रोलर फ्लोर मिलों द्वारा यदि कोई कर दिए जाने होते हैं तो उन्हें मिलों द्वारा रखे गए लेखों और सरकार को दिए गए विवरणों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा वसूल किया जाता है।

बैल गाड़ियों आदि की क्वालीटी में सुधार किया जाना

@*68. श्री सत्य पाल मलिक : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

@पूर्वतः तारांकित प्रश्न 18, 29 अप्रैल, 1985 से स्थानान्तरित।